"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 मार्च 2018 — फाल्गुन 14, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2018

क्रमांक एफ 5–2/2018/18. – छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 427 के खंड (8) के उप–खंड (ख) सहपठित धारा 322 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन मार्गों से किसी बाधा या अतिक्रमण को हटाने हेतु सूचना देने के संबंध में निम्नलिखित उप–विधि बनाती है, अर्थात् :–

### उप–विधि

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.– (1) ये उप–विधि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम मार्गों से बाधा या अतिक्रमण को हटाना (सूचना) उप–विधि, 2018 कहलायेंगे।

   (2) ये उप–विधि राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.– (1) इन उप–विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (एक) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956);

   (दो) "आयुक्त" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 5 के खंड (11) में यथा परिभाषित आयुक्त;

   (तीन) "बाधा या अतिक्रमण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 322 की उप–धारा (1) के खंड (क) एवं (ख) में उपबंधित कोई वस्तु;

   (2) शब्द तथा अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त है तथा परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम के अन्तर्गत क्रमशः उनके लिये समनुदेशित है।

3. बाधा या अतिक्रमण को हटाने हेतु सूचना.– अधिनियम की धारा 322 की उप–धारा (3) के अनुसार किसी मार्ग से बाधा या अतिक्रमण को हटाने के पूर्व, आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसे व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 322 की उप–धारा (1) के उल्लंघन में ऐसी बाधा या अतिक्रमण कारित कर रहा हो, को न्यूनतम सात दिनों की सूचना देगाः

   परंतु यह कि यदि ऐसी बाधा, किसी मार्ग या खुले नाले या नाली पर निक्षेपित या स्थापित की जाती हो, जो आयुक्त की राय में, एक सार्वजनिक त्रास उत्पन्न कर रहा हो, तो ऐसी बाधा को पूर्व सूचना दिये बिना, हटाया जा सकेगा।

4. सूचना की तामिली की रीति.— उप–विधि 3 में निर्दिष्ट सूचना, लिखित में तथा वैयक्तिक रूप से वाहक के माध्यम से अथवा ऐसी बाधा या अतिक्रमण के ढांचे या संरचना पर, कम से कम दो गवाहों की उपस्थिति में चस्पा करते हुए, तामिल की जायेगी:

परंतु यह कि यदि ऐसी बाधा या अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति की पहचान ज्ञात न हो, तो सूचना "अज्ञात अपराधी" के नाम से हो सकेगी तथा सूचना, ऐसी बाधा या संरचना पर चस्पा की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. एक्का,** उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2018

क्रमांक एफ 5–2/2018/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–2/2018/18 दिनांक 1–3–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. एक्का,** उप–सचिव.

Naya Raipur, the 1st March 2018

NOTIFICATION

No. F 5-2/2018/18. – In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (8) of Section 427 read with sub-section (3) of Section 322 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956), the State Government, hereby, makes the following byelaws in relation to giving notice for causing removal of any obstruction or encroachment from streets under the said Act, namely :-

BYELAWS

1. Short title, extent and commencement.- (1) These byelaws may be called the Chhattisgarh Municipal Corporation Removal of Obstruction and Encroachment from Streets (Notice) Byelaws, 2018.

(2) These byelaws shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these byelaws, unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956);

(ii) "Commissioner" means Commissioner as defined in clause (11) of Section 5 of the Act;

(iii) "Obstruction or encroachment" means any of things provided in clause (a) and (b) of sub-section (1) of Section 322 of the Act.

(2) Words or expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as respectively assigned to them under the Act.

3. Notice for removal of obstruction or encroachment.- Before causing removal of any obstruction or encroachment from any street in accordance with sub-section (3) of Section 322 of the Act, the Commissioner or any other officer authorized by him in this regard shall give notice of minimum seven days to the person who is causing such obstruction or encroachment in contravention of sub-section (1) of Section 322 of the Act:

Provided that, if such obstruction is being deposited or raised on any street or open channel or drain, which, in the opinion of the Commissioner, is causing a public nuisance, such obstruction may be removed without prior notice.

4. Manner of service of notice.- The Notice referred to in byelaw 3 shall be in writing and be served in person through a messenger or by affixing on the object or structure causing such obstruction or encroachment, in the presence of at least two witnesses:

Provided that if the identity of the person causing such obstruction or encroachment is not known, the Notice may be addressed to "Unknown Offender" and may be affixed on such obstruction or structure.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.